(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2494–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–04–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 283/2013–14/अपील.

1. प्रेमबाई पति स्व0 ईश्वरलाल
   निवासी ग्राम दुधाखेडी, तहसील पिपलौदा
   जिला रतलाम म0प्र0
2. ऑचल पिता स्व0 ईश्वरलाल
   ऑजना द्वारा सरपरस्त माता
   प्रेमबाई पति ईश्वरलाल
   निवासी ग्राम दुधाखेडी, तहसील पिपलौदा
   जिला रतलाम म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

पदमबाई पति स्व0 भगवान ऑजना
निवासी ग्राम दुधाखेडी, तहसील पिपलौदा
जिला रतलाम म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09 नवम्बर 2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित भूमि ईश्वरलाल पिता भगवान के नाम से दर्ज थी। ईश्वरलाल का दिनांक 8–11–11 को मृत्यु हो जाने के पश्चात नामान्तरण आदेश में ईश्वरलाल की नाबालिग पुत्री आंचल की सरपरस्ती दादी पदमाबाई के नाम लिख दी गई। आवेदिका द्वारा कलेक्टर को शिकायत की गई जिसपर तहसीलदार ने जांच कर पदमाबाई के स्थान पर प्रेमाबाई का नाम सरपरस्ती के तौर पर दर्ज किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22–2–13 अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रेमाबाई ने अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 29–4–15 द्वारा अस्वीकार की। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार पिपलौदा द्वारा ग्राम दुधाखेडी की नामांतरण पंजी कमांक 6 पर पारित आदेश दिनांक 09–12–11 में आवेदिका के पति स्व0 ईश्वरलाल की वारिस पुत्री आंचल की सरपरस्ती पदमाबाई लिख दिया गया, जिसके विरूद्ध उसकी माता प्रेमबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 20/अपील/2011–12 प्रस्तुत की गई। अपील में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से आवेदिका ने दिनांक 23–2–12 को एक आवेदन कलेक्टर रतलाम को प्रस्तुत किया जिसमें पुत्री आंचल की सरपरस्ती दादी पदमाबाई के स्थान पर उसके नाम दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी जाबरा को आवेदन जांच हेतु भेजा जिसपर कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार पिपलौदा को भेजा। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 353/बी–121/11–12 पर प्रकरण दर्ज कर धारा 32 के अन्तर्गत अंतिम आदेश दिनांक 18–5–12 के द्वारा आंचल नाबालिग बली सरपरस्त दादी पदमाबाई के सथान पर प्रेमाबाई सुधार करने का आदेश

दिया। आवेदिका की अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रकरण कमांक 20/अपील/2011–12 आदेश दिनांक 29–9–12 को अनुविभागीय अधिकारी ने इस आधार पर निरस्त की कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–5–12 से सुधार हो चुका है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह अंतिम हो गया है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 18–5–12 के विरूद्ध पुनः अनावेदिका पदमाबाई द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 22–2–13 के द्वारा तहसीलदार का आदेश दिनांक 18–5–12 निरस्त किया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक बार अपील में 29–9–12 को आदेश करने के बाद पुनः तहसीलदार का उक्त आदेश दो बार अपील में सुना गया तथा अपने पूर्व आदेश से उलट आदेश कर तहसीलदार का वह आदेश जिसमें उसने अपनी त्रुटि सुधारी थी निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी का दिनांक 22–2–13 का आदेश अवैधानिक था फिर भी अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अवैधानिक आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखने में त्रुटि की गई है। तर्क में यह भी कहा कि नाबालिग आंचल की प्रथम श्रेणी की सरपरस्त मॉ होती है न कि दादी। अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने में अनियमितता की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं आवेदक द्वारा सूची दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत सत्यापित प्रतियों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार पिपलौदा द्वारा ग्राम दुधाखेडी की नामांतरण पंजी कमांक 6 पर पारित आदेश दिनांक 09–12–11 के विरूद्ध जिससे नाबालिग आंचल की सरपरस्त उसकी दादी को बनाया गया था की आवेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण कमांक 20/अपील/2011–12 पर दर्ज हुई। अतः

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदिका पदमाबाई द्वारा प्रस्तुत अपील में निकाला गया यह निष्कर्ष कि आवेदिका को तहसीलदार के आदेश दिनांक 09–11–12 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी, सही नहीं है क्योंकि आवेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 09–11–12 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। आवेदिका के आवेदन दिनांक 23–2–12 में कलेक्टर रतलाम दिये गये जांच के आदेश के पश्चात तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 353/बी–121/11–12 में आदेश दिनांक 18–5–12 के द्वारा आंचल नाबालिग बली सरपरस्त दादी पदमाबाई के स्थान पर माता प्रेमाबाई सुधार करने का आदेश दिये थे जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–9–12 में भी अनुचित नहीं माना था तथा आवेदिका की अपील केवल इस आधार पर कि "अपीलान्ट द्वारा जिस तथ्य को लेकर अपील प्रस्तुत की गई थी, उस तथ्य का अधिनस्थ न्यायालय के प्रकण कमांक 353/बी–121/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18–5–12 से सुधार होने से अपील निरसत की जाती है।" चूंकि अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष को सुनकर उक्त आदेश पारित किया था यदि अनावेदिका अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश से असंतुष्ट थी तो उसे अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29–9–12 की अपील करना चाहिएथी क्योंकि तहसीलदार के जिस आदेश दिनांक 18–5–12 के विरूद्ध अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की , उस आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में पूर्व में प्रचलित अपील में विचार किया जा चुका था, परन्तु अनावेदिका ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ही दोबारा अपील प्रस्तुत कर दी। जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा अपील प्रस्तुत गई थी, अनुविभागीय अधिकारी को उसे दोबारा ग्राह्य नहीं करना चाहिए था तथा यदि उन्हें ऐसा लगता था कि उक्त आदेश में उन्होंने कोई त्रुटि की है तो उसके लिए विधिवत रिव्यू की अनुमति लेकर कार्यवाही करना

चाहिए थी। इस प्रकार बिना रिव्यू अनुमति के अनुविभागीय अधिकारी ने कलेक्टर के आदेश के कम में जांच पश्चात तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत अन्तर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुये पारित आदेश दिनांक 18–5–12 को निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित कर विधि की गंभीर भूल की है। इस वैधानिक बिन्दु पर अपर आयुक्त द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया और अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से पुत्री की प्रथम सरपरस्त मॉ हो सकती है न कि दादी। इस प्रकरण में भूमि का स्वामित्व का अंतरण न होकर मात्र सरपरस्ती दादी के स्थान पर मां को दी गई है। तहसीलदार द्वारा धारा 32 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18–5–12 में किसी के स्वत्व का हनन नहीं किया गया। उक्त आदेश वैधानिक रूप से सही है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–4–15 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 22–2–13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। तहसीलदार का आदेश दिनांक 18–5–12 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर